Caste and one belonging to the Scheduled Tribe – Member;	

Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Brigadier Personnel, Assam Rifles – Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles – Member; 3. Staff Officer -1(Administration) Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel – Member; 4. One Medical Officer, Assam Rifles of the rank of Commandant or Second-in-Command – Member; 5. Two Officers of, Assam Rifles not below the rank of Subedar level-7 (Rs. 44900-142400) one belonging to the Scheduled Caste and one belonging to the Scheduled Tribe – Member;	

[F. No. A/Pers/RRs/Gp'B'/Pharm/2017]

R JOSES VASHUM, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 को, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, में भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.–** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भेषजज्ञ	11* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200- 92300/- रुपये)। (प्रविष्टि श्रेणी में दो वर्ष की सेवा के पूर्ण होने पर, सभी पद धारको को अगली उच्चतर श्रेणी में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान की जाएगी।)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(6)	(7)	(8)
अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अन्तर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	**अनिवार्य:** (i) भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी पाठ्यक्रम (विज्ञान विषय सहित 10+2 के पश्चात दो वर्ष और पांच सौ घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण) में डिप्लोमा ; अथवा भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी पाठ्यक्रम (विज्ञान विषय सहित 10+2 के पश्चात चार वर्ष का पाठ्यक्रम) में स्नातक ; अथवा भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मा डी (विज्ञान विषय सहित 10 + 2 के पश्चात छ: वर्ष का पाठ्यक्रम) ; और (ii) राज्य भेषजी परिषद से पंजीकरण।	लागू नहीं होता।

मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, , हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहौल और स्पीति जिले एवं पांगी उपखंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए विहित की गई है।	**टिप्पण 1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में सक्षम प्रधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया किसी भी स्तर पर सक्षम प्रधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते सम्बंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्रधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव सम्बंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष। (परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित कम-से-कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।)	सीधी भर्ती। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण पदधारी के एक वर्ष या अधिक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तयों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगीं। : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु0) में पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

	सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।		हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	

[फा. सं. A.11018/20/2024–एमएच.।।]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th August, 2025

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi Pharmacist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Pharmacist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non - selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Pharmacist	11* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix. (on completion of two years of service in the entry grade, all the incumbents shall be granted non-functional to the next higher grade).	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Subdivision of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladhak, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
Essential: (i) Diploma in Pharmacy course (two years and five hundred hours practical training after 10+2 with science subject) from a recognised university or Institute approved by the Pharmacy Council of India; or Bachelor of Pharmacy Course (four years course after 10+2 with science subject) from a recognised university or Institute approved by the Pharmacy Council of India; or Pharma D course (six years course after 10+2 with science subject) from a recognised university or Institute approved by the Pharmacy Council of India; and (ii) Registration with State Pharmacy council. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years. **Note :** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks for successful completion of probation as prescribed by the competent authority.

Note 2 : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage, the competent authority or the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with five years regular service in the posts in level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix, or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Principal, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital - Chairperson; 2. Head of the concerned Department, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital New Delhi - Member; 3. Deputy Director (concerned) Directorate General of Health Services – Member; 4. Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/20/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, जयेष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा जयेष्ठ पर्फ्युज़निस्ट (समूह 'ख" पद), भर्ती नियम, 2019 को, जहां तक उनका सम्बन्ध वरिष्ठ पर्फ्युज़निस्ट के पद से है, सिवाय उन बातो के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ रक्त परिसंचरण तंत्र संचालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, वरिष्ठ रक्त परिसंचरण तंत्र संचालक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।